संख्या-18/2018/5536/96-आयुष-1-2018-487/2016टी0सी0

प्रेषक,

सोबरन सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
यूनानी सेवायें,
उ0प्र0 लखनऊ।

आयुष अनुभाग-1 लखनऊ; दिनांक 14 दिसम्बर, 2018

विषय- राजकीय तकमील उत्तिब कालेज एवं चिकित्सालय, लखनऊ के पुराने भवन में स्व0 अब्दुल अजीज के नाम से 50 शैय्यायुक्त जिला यूनानी चिकित्सालय के निर्माण कार्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1871/यू0नि0/822-योजना/2018-19; दिनांक 14.06.2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय तकमील उत्तिब कालेज एवं चिकित्सालय, लखनऊ के पुराने भवन में स्व0 अब्दुल अजीज के नाम से 50 शैय्यायुक्त जिला यूनानी चिकित्सालय के निर्माण कार्य हेतु मूल्यांकित लागत धनराशि रू0-1431.43 लाख + जी0एस0टी0 (नियमानुसार देय) (रूपया चौदह करोड़ इकत्तीस लाख तिरालिस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा इसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0-250.00 लाख (रूपया दो करोड़ पचास लाख मात्र) अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1) विभाग द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30.03.2018 में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन किया जाएगा।
(2) विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी प्रशासकीय विभाग की होगी।
(3) विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
(4) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व विभाग का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश विभाग द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।
(5) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।
(6) विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।
(7) विभाग द्वारा पी0एफ0ए0डी0 की शर्तों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(8) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/डाक घर खाते आदि में नहीं रखा जायेगा।
(9) कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जायेगा।
(10) आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान संख्या-33 के लेखाशीर्ष : **4210-** चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, **01-**शहरी स्वास्थ्य सेवायें, **800-**अन्य व्यय, **06-**यूनानी कालेज तथा सम्बद्ध अस्पताल, **00** के मानक मद **24-**वृहद् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-यू0ओ0ई0-3-2412-दस-2018, दिनांक 10.12.2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

सोबरन सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-18/2018/5536(1)/96-आयुष-1-18, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ।
(4) वित्त नियंत्रक, यूनानी सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
(5) प्रधानाचार्य एवं अधीक्षक, राजकीय तकमील उत्तिब कालेज एवं चिकित्सालय, लखनऊ।
(6) अधिशाषी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड, लखनऊ (द्वारा निदेशक, यूनानी सेवायें)।
(7) आयुष अनुभाग-2/ वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से

सोबरन सिंह
विशेष सचिव।